-::निर्णय::-

दिनांक 29.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि मिन प्रार्थीया के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. प.नं. 52/246 (7) की 2.530 हैक्टेयर व प.न. 52/247 (14) की 1.897 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 4.427 हैक्टेयर में से 2530/4427 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टेयर नहरी खातेदारी एवम् इसी चक के प.नं. 51/246 (8) के किला नं. 1/0.235, 10, 11, 12, प.नं. 50/246 (9) किला नं. 5/1/0.105, 5/2/0.025 की कुल 1.124 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता इस प्रकार कुल 3.654 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 सलंग्न वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के 16 जे.आर.के. प.नं. 50/246 (9) के किला नं. 3, 4, 5/1/0.123, प.नं. 51/246 (8) किला नं. 1/0.018, 21/0.018, 22/0.018, की कुल 0.683 हैक्टेयर व इसी चक के प.न.49/245 (1) के किला न. 24, 25, प.न. 49/246 (10) के किला न. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, प.न. 50/245 (2) के किला न. 19 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025, प.न. 50/246 (9) के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025, प.न. 50/247 (12) के किला न.2/1/0.203, 2/2/0.025, 2/3/0.025, 3/1/0.203, 3/2/0.025, 3/3/0.025, 4/1/0.203, 4/2/0.025, 4/3/0.025, 5/1/0.178, 5/2/0.050, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 8, 9, 12, 13, 14 , प.न. 51/245 (3) के किला न. 24, प.न. 51/246 (8) के किला न. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 23, प.न. 51/247 (13) के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025 इस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

प्रकार सभी पत्थरों की कुल 12.650 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता में अप्रार्थी का 2480/12650 हिस्सा यानि 2.480 हैक्टेयर इस प्रकार अप्रार्थी के नाम कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 सलंग्न प्रर्थना पत्र हैं।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके के प.नं. 51/245(3) किला नं. 25, प.नं. 51/246 (8) किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 24,25/1/0.228, 25/2/0.025 की 1.518 हैक्टेयर व प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6, 7, 15, 16 की 1.518 हैक्टेयर, प.नं. 52/245 (4) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्टेयर प.नं. 52/247 (14) किला नं. 1/1/0.203, 1/2/0.025, 1/3/0.025, 10, 11/2/0.127 की 0.633 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 4.428 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु.खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 सलंग्न प्रार्थना पत्र हैं।

यह कि प्रार्थीया की भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. के प.नं. 51/246(8) के किला नं. 1/0.235, 10, 11, 12, प.नं. 50/246 (9) किला नं. 5/1/0. 105, 5/2/0.025 की कुल 1.124 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता खातेदारी (जिसका विवरण प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/0.018, 22/0.018, 23/0. 018 बेजानीब दक्षिण दिशा की और से पूर्व – पश्चिम की लम्बाई तीनो किलो में से कुल 0. 054 हैक्टेयर गै.मु. खाला के चिपते हुये व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.018, 5/1/0.018 बेजानीब उतर दिशा की और से पूर्व – पश्चिम की लम्बाई दोनो किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर गै.मु. खाला के चिपते हुये इस प्रकार कुल 0.090 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त रास्ता की एवज मे प्रार्थीया के नाम की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जे.आर.के. प.नं. 52/246(7) की 2.530 हैक्टेयर व प.न.52/247 (14) की 1.897 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 4.427 हैक्टेयर में से 2530/4427 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टेयर नहरी खातेदारी मे से 0.036 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त करे या मुताबिक डी.एल.सी के राशि प्राप्त करे तो प्रार्थीया को कोई उज़र वा ऐतराज नहीं है ।

चूंकि प्रार्थीया की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। यही रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक हैं तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थीया काफी अरसा से अपनी भूमि मे आते जाते रहे है। तथा उपयोग व उपभोग करती आ रही है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि भूमि मे प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/0.018, 22/0.018, 23/0.018 बेजानीब दक्षिण दिशा कुल 0.054 हैक्टेयर व प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.018, 5/1/0.018 बैजानिब उत्तर दिशा की तरफ कुल 0.036 हैक्टेयर गै.मु. खाला के चिपते हुये इस प्रकार कुल 0.090 हैक्टेयर प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीया भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगी। तथा अपनी कृषि भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थीया तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/0.018, 22/0.018, 23/0.018 बेजानीब दक्षिण दिशा कुल 0.054 हैक्टेयर व प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.018, 5/1/0.018 बैजानिब उत्तर दिशा की तरफ कुल 0.036 हैक्टेयर खाला के चिपते हुये इस प्रकार कुल 0.090 हैक्टेयर प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थी सं. 1 को अपनी अवाप्त शुदा भूमि के बदले किसी प्रकार की कोई राशि डी.एल.सी. या भूमि के बदले भूमि नही लेने की मौखिक सहमति प्रदान की है, तथा अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत होता है तो प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 2 को भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी की दौगुनी राशि अदा करने के लिये पूर्णत्या सहमत है।

यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि मे से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी सं. 2 को कहा तो अप्रार्थी सं. 2 पहले तो आज कल- आज कल का बहाना बनाते रहा व 15 दिवस पूर्व रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने से साफ तौर से ईन्कार कर दिया बस यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण हैं

यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी संख्या 3 भू-धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह भूमि तहसील हनुमानगढ़ मे स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ चक 16 जेआरके के प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/0.018, 22/0.018, 23/0.018 बेजानीब दक्षिण दिशा की और से पूर्व - पश्चिम की लम्बाई तीनो किलो में से कुल 0.054 हैक्टेयर गै.मु. खाला के चिपते हुये व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.018, 5/1/0.018 बेजानीब उतर दिशा की और से पूर्व - पश्चिम की लम्बाई दोनो किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर खाला के चिपते हुये इस प्रकार कुल 0.090 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शमशेर सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 2 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में राजीनामा सहमति का पेश किया जो बाद तस्दीक के शामिल पत्रावली किया गया। जिससे प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, मजरी नक्शा का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ चक 16 जेआरके के प.नं. 51/246 (8) किला नं. 21/0.018, 22/0.018, 23/0.018 दक्षिण दिशा की और से पूर्व - पश्चिम की लम्बाई में तीनो किलो में से कुल 0.054 हैक्टेयर गै.मु. खाला के चिपते हुये व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 16 जेआरके के प.नं. 51/247 (13) किला नं. 4/1/0.018, 5/1/0.018 उत्तर दिशा की और से पूर्व - पश्चिम की लम्बाई में दोनो किलो में से कुल 0.036 हैक्टेयर खाला के चिपते हुये इस प्रकार कुल 0.090 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक राजीनामा रास्ता की एवज में प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 16 जेआरके प.न. 52/246 मु.न. 7 की 2.530 हैक्टेयर व प.न. 52/247 मु.न. 14 की 1.897 हैक्टेयर भूमि में से 0.036 हैक्टेयर भूमि कलमजन की जाकर अप्रार्थी सं. 2 संतु पुत्र सुरजा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ